

XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)



छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 14698

यह प्रमाणित किया जाता है कि बंजारी शिक्षण समिति दुसौर
समिति जो बोरोडीपा-चौक दुसौर, तहसील दुसौर,
जिला रायचूर में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन
6/6/2011 को पंजीयित की गई है।

दिनांक ६: माह जून सन् 2011



अजय चौधरी
समितियों के रजिस्ट्रार 6/6/11



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH



19AA 249474

गंगुली द्वािष्टा समिति धुसरोट

पं. नं. 14698

दिनांक - 06/06/2012

सूची की नकल

(अज्ञय चौबे)
सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएँ बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर
न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग कलेक्टर परिसर बिलासपुर

दूरभाष-07752-250777

क्रमांक / 14698 / 06.06.2011 / 622 / 2023

बिलासपुर दिनांक 10 / 01 / 2023

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
बंजारी शिक्षण समिति पुसौर
बोरो डिपा चौक जिला - रायगढ़ (छ0ग0)।

विषय:- अधिनियम की धारा 27/28 के संबंध में ।
संदर्भ :- समिति की ओर से जानकारी प्रस्तुत दिनांक 13/09/2022

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत बंजारी शिक्षण समिति पुसौर बोरो डिपा चौक जिला - रायगढ़ (छ0ग0)। पंजीयन क्रमांक 14698 दिनांक 06/06/2011 पर पंजीकृत समिति है। जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है।

संस्था द्वारा एकजाई वर्ष 2022 की जानकारी में वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 22/12/2022 की जानकारी नियत प्रारूप पर चालान राशि 22880/-क्रमांक 111 दिनांक 13.09.2022 को कार्यालय में दिनांक 13/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत संलग्न कार्यकारणी सूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नामों का उल्लेख है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पद
1	श्री दुष्यंत कुमार प्रधान	अध्यक्ष
2	श्री बलराम साव	उपाध्यक्ष
3	श्री ऋषि कुमार	सचिव
4	श्री कमल कुमार गुप्ता	कोषाध्यक्ष
5	श्री प्रदयुम्न देहरी	संयु0 सचिव
6	श्री सरोज प्रधान	सदस्य
7	श्री अवधेश प्रधान	सदस्य

10/01/2023
(अध्यक्ष चौक)
सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग बिलासपुर

पंजीयन क्रमांक 14698
पंजीयन दिनांक 6-1-11
संशोधन दिनांक
फाइलिंग का दिनांक
सहायक पंजीयक
होगा।

(1)

नियमावली

1. समिति का नाम बंजरी विद्यालय समिति पुणे-२
2. संस्था का कार्यालय बेरोडेवा चौक पुणे-२ मोहल्ले का नाम बेरोडेवा
तहसील पुणे जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र बेरोडेवा जिन रायगढ़ छत्तीसगढ़ होगा।
4. संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित हैं वही लिखें)

- 1.) बच्चों के बाहर हुए हुए शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा को वास्तव करना।
- 2.) बच्चों को भविष्य का मार्ग नगरीय बनाना।
- 3.) बच्चों के बारे में हर एक नगरीय को वास्तव बनाना।
- 4.) लक्षित आ हर एक बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए होगा।
- 5.) बच्चों के खेल में माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।
- 6.) उच्च शिक्षा के बारे में बच्चों के बाहर देश भक्ति पैदा करना।



सत्य प्रतिलिपि

(5) सदस्यता श्रेणी के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) संरक्षक सदस्य - संस्था को दान के रूप रुपये 50000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में 12 किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 30000 या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन जाएगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 20000 या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य - जो व्यक्ति रुपये 50 माह रुपये 600 प्रति वर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोष जनक कारणों के 1 माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सचिव

के. वि. व. व. व. व.

अध्यक्ष

(2)

पंजीयन क्रमांक 14698
पंजीयन दिनांक 6/6/14
सहायक निदेशक
संस्थान के लिए
सहायक निदेशक
संस्थान के लिए

(द) सम्माननीय सदस्य - संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समझें सम्माननीय सदस्य बना सकता है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं देने का अधिकार नहीं होगा ।

(6) सदस्यता का प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो की समिति का सदस्य बनने के इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(7) सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

1. आयु 1 वर्ष से कम न हो
2. भारतीय नागरिक हो
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो
4. सद्चरित्र हो तथा मदपान न करता हो ।

(8) सदस्यता का समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम (5) में बताये अनुसार जमा न करने पर
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर
5. चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पूंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न व्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर ।
2. वह तारीख जिसमें सदस्यो को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं. ।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।
4. सदस्य के हस्ताक्षर ।

सत्य प्रतिलिपी

(10) (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी । परन्तु वर्ष में एक एक बार बैठक अनिवार्य होगी जिसका माह अप्रैल होगा । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों को होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जा तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था के आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबंधकारणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक के सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों को होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक 1 घण्टे के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः कि जा सकेगी जिसके लिए कोरम कि कोई शर्त न होगी ।

सचिव

के बाध्यक्ष

अध्यक्ष

(3)

पंजीयन क्रमांक 14698
पंजीयन दिनांक 6-16-11

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित कम्प्यूटरी से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार रहेगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय - व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम 5 (अ,ब,स,) में दर्शाये गये सदस्यों के नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हैं, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

- (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय

प्रबंधकारिणी के गठन की प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन सदस्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल - अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय - समय पर सौंपे जाएं।

(च) संस्था की समस्त चल - अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना बिक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं कर सकते।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयानात्मक होगा।

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

पंजीयन क्रमांक 14698
पंजीयन दिनांक 6/6/11
संशोधन दिनांक
फाइलिंग का दिनांक
सहायक पंजीयक

(5)

(25) बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में डाला जावेगा। एवं समय - समय पर धन

जमा करने, निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाई जाने

पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(27) विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो रजिस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगा। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधन समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार का होगा।

(28) अर्थदण्ड विधायन :-

सत्य प्रतिलिपि

(क) जो सदस्य मासिक चन्दे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अंदर चन्दे की रकम अदा करने पर 30 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करनी पड़ेगी।

(ख) जो सदस्य मासिक चन्दे की रकम को निश्चित अवधी में अदा नहीं करेगा तो उसको तीन माह के अंदर 25 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना होगा।

(ग) वार्षिक या मासिक चन्दा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निश्चित अवधी के बाद लगातार चन्दा नहीं दें तो ऐसे व्यक्ति को कारगरिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधी के पश्चात लगातार छः माह तक चन्दा नहीं देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य का नाम काटने की निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(इ) प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर यह संतोष हो जाये की कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति के संपत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से हानिकारक हो, तो ऐसी स्थिति में सदस्य को सदस्यता समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव-साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन पंचमांश के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

प्रमाणित प्रति

250 चक्रान 11353514

दिनांक 6/6/11 द्वारा किया गया है

पंजीयन क्र 14698 दिनांक

द्वारा पंजीयक संस्था की मूल दस्तावेज

की प्रमाणित प्रतियां जारी होने का

दिनांक ..

सचिव

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

06AA 501482



R - 14698
6/6/11

अंगारी शिक्षण समिति
पुसेर, जिला रायगढ़

(अजय चौधरी)
(अजय चौधरी)
सहस्रक संजीवक
अर्थ एवं संस्थापक, बिलासपुर (छ.ग.)

अनु.प्र. 3/8 दिनांक 5/6/11 स्टा.की. 10

क्रेता श्री मेधा उद्योग भवार्थि शिष्ट पता रुमिडा

मासफल रुमिडा संवत्सर के पक्षकार

प्रयोजन श्रीपक्ष मूल्य 10X1=10

Handwritten signature



R. K. Khande
कलेक्टर कुमारे नन्दे
स्टाम्प वेडर, पुसीर
जिला-सयगढ़ (उ.प्र.)

